

2
मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

कलम भवन, भोपाल - 462004
=====



क्रमांक- एफ 73- 22 /20-3/2008
प्रति,

भोपाल, दिनांक -

15, 2008

तपित,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रति पिछा, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय संस्था भारत भारतीय विद्यालय, दिल्लीवाड़ा (पेजो)
को सी. बी. सी. ई. / ~~अशासकीय संस्था~~ से सम्बन्धता हेतु एन.ओ.सी.
देने बाबत।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था भारत भारतीय विद्यालय, दिल्लीवाड़ा
को सी. बी. सी. ई. / ~~अशासकीय संस्था~~ नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनाररित
प्रमाण पत्र विवेक प्रकल्प मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीकृत [परीक्षा] को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा।
03. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से बिना ही कार्य को अवेधा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा।
04. केलकुद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा।

:: 2 ::

05. राष्ट्रीय कार्यश्रमों को संयोजित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

महोदयों के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


|| आर. आर. उदिरवार ||
उपर सचिव


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

प. प्र. सं. 73 - 22 / 20-3/2005 भोपाल, दिनांक - 6 जून, 2004

प्रतिरिपि :-

1. आसुता, नोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - हिल्दवाड़ा (म०प्र०)
 3. प्रचारक, आर. संस्था नारल नारली विद्यालय, नरसिंहपुर रोड, हिल्दवाड़ा
- की ओर कृपया सर्व आवश्यक कार्रवायों हेतु अवगत है।


उपर सचिव 4/6/04


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.